69

असाधारण सामान्य बैठक की सूचना

18 मार्च, 2013

Notice for Extraordinary General Meeting

18th March, 2013

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे- 411 005
Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

विषय-सूची
INDEX

सूचना	1	Notice	7
टिप्पणियाँ	3	Notes	9
व्याख्यात्मक कथन	4-6	Explanatory Statement	10-12
प्रॉक्सी फॉर्म	13	Form of Proxy	14
उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पास	15	Attendance Slip and Entry Pass	16
हरित पहल	17-18	Green Initiative	19-20

कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण तारीखें
IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम Event	तारीख Date
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फार्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy forms and resolutions for appointing authorised representatives	13 मार्च, 2013 को सायं 5.00 बजे तक 13 March, 2013 5.00 p.m.
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, समय और स्थान Date, time and venue of Extraordinary General Meeting	18 मार्च, 2013 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पासाहेब जोग हाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 18th March, 2013 at 10.30 a.m. Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय, 1501, लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.)

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **सोमवार दिनांक 18.03.2013 को सुबह 10.30 बजे** अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी -

1. **निम्नलिखित प्रस्ताव को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :**

 "प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (समय-समय पर यथासंशोधित सेबी आईसीडीआर विनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को भारत सरकार को अधिमान आधार पर कुल रू.405,99,99,961 के रू.10/- प्रति शेयर (रूपए दस मात्र) के 7,18,83,852 ईक्विटी शेयरों को नकद मूल्य रू.56.48 प्रति शेयर पर जो सेबी, आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76 (1) के अनुसरण में बोर्ड द्वारा तय किए जाएं को निर्मित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने हेतु प्रदान की जाती है ।

 प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक **15 फरवरी 2013** है।

 प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा ।

 यह प्रस्ताव भी है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश हेतु पात्र होंगे ।

 यह प्रस्ताव भी है कि उक्त अनुसार जारी किए जाने वाले नए शेयर उन स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध होंगे जहां नए ईक्विटी शेयर के आबंटन की तारीख को बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं ।

 यह प्रस्ताव भी है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्द्वारा बोर्ड को ऐसे सभी कृत्य, कर्म, कार्य, मामले करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन या सहमति लेने या प्राधिकृत करने की इच्छा जो इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त हो, हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित हों ।

 यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझे प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।"

2. **निम्नलिखित प्रस्ताव को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :**

 "प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 समय-समय पर यथासंशोधित (आईसीडीआर विनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय-समय पर जारी होते हैं, के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित है और जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं वहां के स्टाक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण करार के अधीन है, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी सहित) को (तत्समय लागू विधि द्वारा अनुमत ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी हेतु और निर्गम के ऐसे हिस्से को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर अथवा/और फर्म आबंटन हेतु आरक्षण के प्रावधानों के सहित) कर सके. यह किसी प्रस्ताव / दस्तावेज / विवरणिका के जरिए या भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज के द्वारा होगा, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रू. 10 प्रति शेयर के ऐसी ईक्विटी शेयरों की संख्या किसी भी स्थिति में 20,00,00,000 (बीस करोड़) से अनधिक और कुल रू. 200,00,00,000 (रूपए दो सौ करोड़ केवल) से अनधिक को निर्मित, प्रस्तावित, जारी और आबंटित करने हेतु प्रदान की जाती है, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की सीमा के अंदर रहते हुए, इस प्रकार कि भारत सरकार की धारिता किसी भी समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी की 51% से अधिक नहीं होगी, भले ही यह बाजार मूल्य के प्रीमियम या रियायती दरों पर, एक अधिक भाग में होगी जिसमें एक अथवा अधिक शेयर धारक, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), कंपनियां, निजी व सार्वजनिक, निवेश संस्थान, सोसायटी, न्यास, अनुसंधान संस्थान, पात्र संस्थागत क्रेता ("क्यूआईबी") अथवा अन्य इकाईयां, प्राधिकारी अथवा निवेशक की ऐसी अन्य श्रेणी अथवा उक्त में से ऐसा अन्य कोई संयोजन जो बैंक द्वारा उचित समझा जाए, में विद्यमान विनियम/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने का प्राधिकार है ।

एक परिवार एक बैंक

यह प्रस्ताव भी है कि ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन, सार्वजनिक निर्गम, राईट इश्यू, पात्र संस्थागत खरीददार ("क्यूआईपी") और/अथवा निजी स्थानन के आधार पर और अधिक आबंटन विकल्प सहित अथवा रहित किया जाएगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन के प्रावधानों के अनुसार किया जाए । बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (आईसीडीआर प्रावधान) और भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी और यथा लागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसरण में बोर्ड ऐसे समय अथवा समयों पर और ऐसी शर्तों पर किया जाएगा, जिसे बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझता हो ।

यह प्रस्ताव भी है कि बोर्ड को यह निर्णय लेने का अधिकार होगा ऐसे मूल्य अथवा मूल्यों पर और जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधकों और / अथवा हामीदार और /अथवा अन्य सलाहकारों या अन्यथा के साथ ऐसी शर्तों पर जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में आईसीडीआर विनियमों की शर्त पर, अन्य विनियमों और अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता हो, चाहे ऐसा निवेशक बैंक का विद्यमान शेयर धारक हो अथवा नहीं । मूल्य का निर्धारण आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।

यह प्रस्ताव भी है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड(एफआईपीबी), औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी प्राधिकारी जो कि आवश्यक हों (इसके पश्चात सामूहिक रूप से "उपयुक्त प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो कि ऐसा आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरी (इसके पश्चात "अपेक्षित अनुमोदन" के रूप में संदर्भित) बोर्ड द्वारा प्रदान करते समय, इसके संपूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर करने, जारी करने, प्रस्तावित और आबंटित करने, समय-समय पर एक या अधिक अंशों में, ईक्विटी शेयर्स या वांछित से अन्य कोई अन्य प्रतिभूति, जो कि बाद के दिनांक में ईक्विटी शेयर से विनिमययोग्य अथवा परिवर्तनीय हो, इस रूप में कि भारत सरकार के पास धारिता किसी भी समय बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, पात्र संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी)(आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) पात्र संस्थागत खरीददार के अनुसमय में, आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अंतर्गत दिए गए अनुसार, खरीददारी दस्तावेज और/या कोई अन्य दस्तावेज/लेखनों, परिपत्रों/ज्ञापन तथा इस रूप में और ऐसे मूल्य पर, नियम व शर्तों पर जो कि आईसीडीआर विनियमन और समय-समय पर प्रचलित विधि के अन्य प्रावधानों के अनुसरण में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाए, बशर्ते कि इस प्रकार जारी ईक्विटी शेयरों के प्रीमियम सहित मूल्य आईसीडीआर विनियमन के संगत प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त मूल्य से कम नहीं होगा।

यह प्रस्ताव भी है कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अनुसरण में पात्र संस्थागत खरीददार के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन केवल पात्र संस्थागत क्रेता को आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अर्थों के भीतर होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प के दिनांक से 12 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

यह प्रस्ताव भी है कि पात्र संस्थागत खरीददार निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के आधार मूल्य के निर्धारण हेतु संगत दिनांक आईसीडीआर विनियमन के अनुसरण में होगा।

यह प्रस्ताव भी है कि बोर्ड को पूरा प्राधिकार और शक्ति होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कि बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन, सहमति, अनुमति और निर्गम, आबंटन और सूचीकरण की मंजूरी प्रदान करते समय जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, लागू या अपेक्षित अनुसार, प्रस्ताव में किसी भी आशोधन को स्वीकार करें।

यह प्रस्ताव भी है कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेश हेतु नए ईक्विटी शेयरों का आबंटन और निर्गम, यदि कुछ हो, तो यह विदेशी प्रबंध अधिनियम 1999 यथा प्रयोज्य किंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

यह प्रस्ताव भी है कि निर्गमित किये जाने वाले उक्त नए ईक्विटी शेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004, यथासंशोधित, के अध्यधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय प्रचलन में सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसरण में लाभांश, यदि कुछ हो, सहित बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के हर प्रकार से समरूप माने जाएंगे।

यह प्रस्ताव भी है कि ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें कि प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित की जानेवाली शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि, जो कि बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझता है, सहित पब्लिक ऑफर की शर्तों को निर्धारित करने हेतु बोर्ड को और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों और करारों का निष्पादन जो कि वह अपने संपूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझते हैं तथा किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका जो कि पब्लिक ऑफर, निर्गम और निर्गम आगम के इस्तेमाल के संबंध में उत्पन्न हों, के निपटान हेतु निर्देश या अनुदेश देने अथवा निपटान करने तथा नियम और शर्तों के संबंध में किसी आशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, बंदलाव, विलोपन, जोड़ को प्रभावी करने, जो कि बोर्डद्वारा या अन्य किसी अनुमोदन के आवश्यक हुए बिना, इसके संपूर्ण विवेकाधिकार में बैंक के श्रेष्ठ हितों में उचित और उपयुक्त माना जाए, और यह कि इस संकल्प के प्रयोजन से बैंक तथा बोर्ड को प्रदत्त ऐसे सभी और कोई भी अधिकार बोर्ड द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं।

यह प्रस्ताव भी है कि किसी अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), निक्षेपागार(रों) और ऐसी सभी अन्य एजेंसियों, जो ईक्विटी शेयरों के ऐसे प्रस्ताव में शामिल या संबद्ध हो सकती हैं, के साथ ऐसी समस्त व्यवस्थाओं को निष्पादित करने और शामिल होने के लिए तथा कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या इसके समान, के माध्यम से ऐसी सभी एजेंसियों या संस्थानों को पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, करार, ज्ञापन, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने और शामिल होने हेतु भी बोर्ड को और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/ या बैंक द्वारा यथा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निवेशकों के वर्ग जिन्हें ईक्विटी शेयर आबंटित किए जाने हैं, सहित निर्गम(मों) के फार्म और शर्तों, ईक्विटी शेयर के प्रत्येक हिस्से में आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कुछ है), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या मोचन या निरस्तीकरण पर अन्य प्रतिभूतियों या ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम राशि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन/ निर्गम पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, परिवर्तन की अवधि, बही संवरण या अभिलेख दिनांक का निर्धारण और संबंधित या आकस्मिक

मामलों को निर्धारित करने, बोर्ड द्वारा इसके पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे अनुसार, भारत और/ या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए बोर्ड को और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्रस्ताव भी है कि ऐसे ईक्विटी शेयरों का, जिनका अभिदान नहीं किया गया है, उनका बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में इस प्रकार निपटान किया जा सकता है, जिसे बोर्ड उचित समझे और जो विधि द्वारा अनुमत हो।

यह प्रस्ताव भी है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों, मामलों और विषयों जिसे उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझा जाए और शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटान करने और शेयरधारकों के किसी अन्य अनुमोदन या सहमति मांगे बिना या संकल्प के प्राधिकरण द्वारा यह अभिव्यक्त है कि शेयरधारकों को इसके समापन और आशय हेतु अनुमोदन दिया माना जाएगा, आगे ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों, मामलों और विषयों को करने तथा इसके संपूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित या वांछनीय माने गए अनुसार आवश्यक, वांछनीय या लाभकारक माने गए सभी दस्तावेजों और लेखनों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने हेतु बोर्ड को और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्रस्ताव भी है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक/(कों) को इसमें प्रदत्त किसी या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु बोर्ड को और एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

नरेन्द्र सिंह

(नरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे
दिनांक : 16.02.2013

टिप्पणियां

1. बैठक के व्यवसाय के संबंध में वास्तविक तथ्यों हेतु व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न है ।

2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

 शेयरधारक जो बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र हैं वे अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है ।

 प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक के पुणे स्थित मुख्यालय में असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात बुधवार, 13 मार्च 2013 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए ।

 प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

 कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक किसी कंपनी या निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित सत्य प्रति है जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में असाधारण आम सभा की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार, दिनांक 13 मार्च 2013 को या उससे पहले बैंक के कार्यालय समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व जमा नहीं की जाती ।

3. **उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र**

 शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची आम सभा के स्थान पर देने की कृपा करें । प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि यथाप्रसंग उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर उल्लेख करें कि "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" ।

सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 की शर्तों के अधीन यथा-आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

मद क्र. 1 :

(क) वरीयता निर्गम के उद्देश्य -

पूंजी पर्याप्तता से संबद्ध बासल (II और III) के अनुपालन की दृष्टि से पूंजी उठाने की बढ़ती हुई आवश्यकता सर्वत्र है । भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक को जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी का अनुपात बासल II के अनुसार न्यूनतम 9 प्रतिशत रखना अनिवार्य है। इसमें से कम से कम 6 प्रतिशत टियर - I पूंजी के लिए होना चाहिए । 31 मार्च 2012 के हमारे लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.99 प्रतिशत था, जिसमें से 8.31 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात टियर - I पूंजी के लिए था । 31.12.2012 को बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.70 प्रतिशत था जिसमें से 8.00 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात टियर - I पूंजी के लिए कारोबार में सतत वृद्धि को ध्यानमें रखते हुए और निकट भविष्य में कारोबार वृद्धि की गुंजाइश को देखते हुए बैंक अतिरिक्त पूंजी की जरूरत महसूस करता है और उगाही गई पूंजी का उपयोग व्यवसाय वृद्धि हेतु अपेक्षित पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा ।

(ख) बैंक की स्वयं की निधियों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार अब बैंक में अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी लगाने का प्रस्ताव रखती है । ईक्विटी शेयरों का प्रस्ताव भारत सरकार, बैंक के प्रवर्तक द्वारा ईक्विटी शेयरों के अधिमान निर्गम के माध्यम से अभिदत्त किया जाएगा ।

(ग) ईक्विटी शेयरों के अधिमान निर्गम से पूर्व एवं पश्चात बैंक की शेयरधारिता पद्धति

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व (31.12.2012)		निर्गम के पश्चात (31.03.2013)	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
(क)	प्रवर्तक की धारिता				
1.	प्रवर्तक				
	भारत सरकार	485506455	78.95	537390307	81.24
	विदेशी प्रवर्तक	–	–	–	–
2.	संगठित रूप से कार्यरत व्यक्ति	–	–	–	–
	उप जोड़	485506455	78.95	537390307	81.24
(ख)	गैर प्रवर्तक धारिता				
3.	संस्थागत निवेशक				
(क)	म्युचुअल फंड और यूटीआई	5332027	0.90	5332027	0.81
(ख)	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/राज्य सरकारी संस्थाएं/गैर-सरकारी संस्थाएं)	62824381	10.66	62824981	9.50
(ग)	वित्तीय संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	4520275	0.77	4520275	0.68
	उप जोड़	72676683	12.33	72676683	10.99
4.	अन्य				
(क)	निजी कारपोरेट निकाय	6741392	1.14	6741392	1.02
(ख)	भारतीय जनता	43664747	7.41	43664747	6.60
(ग)	एनआरआई/ओसीबी	1002805	0.17	1002805	0.15
(घ)	अन्य कोई	–	–	–	–
	उप जोड़	51408944	8.72	51408944	7.77
	कुल जोड़	589592082	100.00	661475934	100.00

(घ) बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में उल्लिखितानुसार निर्धारित समय सीमा में निर्गम की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु प्रयासरत है ।

(ङ) चूंकि संपूर्ण निर्गम भारत सरकार, बैंक के प्रवर्तक और प्रमुख शेयरधारक को करना प्रस्तावित है इसलिए नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

[redacted]

निर्गम से पूर्व एवं पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी ।

	शेयरों की संख्या	पूंजी से प्रतिशतता
निर्गम से पूर्व (यथा 31 दिसंबर 2012)	465506455	78.95
निर्गम के पश्चात	537390307	81.24

(च) बैंक का ईक्विटी शेयर छः महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं है ।

(छ) इस सूचना के अनुसरण में भारत सरकार को जारी अधिमान निर्गम के अंतर्गत जारी और आबंटित किए जाने वाले सभी प्रस्तावित शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे ।

(ज) केन्द्र सरकार के संपूर्ण पूर्व अधिमान धारिता छह माह की अवधि के लिए अवरुद्ध होंगे जो कि ईक्विटी शेयर के आबंटन की तारीख से छह माह की अवधि के लिए तथा संबंधित तारीख से प्रारंभ होगी ।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है, को असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा ।

बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीकरण करार में विनिर्दिष्टानुसार ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन कर रहा है ।

भारत सरकार ने संबद्ध तारीख के पश्चात पिछले 6 महीनों के दौरान बैंक के कोई ईक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं । साथ ही, भारत सरकार द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर बेकागजीकृत स्वरूप मे हैं ।

निदेशक मंडल नोटिस में यथा उल्लिखित विशेष प्रस्ताव पारित करने की अनुशंसा करते हैं ।

बैंक के किसी भी निदेशक का इन संकल्पों में निहित प्रस्ताव में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है / हित नहीं जुड़ा है ।

मद क्र 2

(क) उक्त मद क्रमांक 1 (एक) के परिच्छेद (क) में निर्गम का उद्देश्य स्पष्ट किया गया है । उक्त प्रस्ताव के अनुसार अधिमान निर्गम के अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि रू. 200,00,00,000 (रूपये दो सौ करोड़ केवल) के 20,00,00,000 (बीस करोड़) ईक्विटी शेयर जारी किए जाएं, जैसा कि प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है ।

(ख) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी) (सी) के अनुसार प्रदत्त पूंजी की वृद्धि के लिए बैंक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा । तथापि भारत सरकार की धारिता किसी भी समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी की इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

(ग) सूचीकरण करार (बैंक और स्टॉक एक्स्चेंज के बीच) के खंड 23 के उप खंड (क) में प्रावधान किया गया है कि बैंक जब कभी कोई निर्गम अथवा प्रस्ताव दे रहा हो तो विद्यमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रस्ताव दिया जाए जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय नहीं लेते है । उक्त प्रस्ताव यदि पारित किया जाता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को विद्यमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर अन्यथा प्रतिभूतियों के आबंटन और जारी करने की अनुमति प्रभावी होगी।

(घ) यह प्रस्ताव बैंक को निजी स्थानन के आधार पर और / अथवा सार्वजनिक निर्गम, राईट इश्यू के रूप में ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को प्रस्तावित, जारी और आबंटित करने हेतु बैंक को समर्थ बनाएगा । निर्गम के आगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अनुसार पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को सुदृढ करने हेतु बैंक को समर्थ करेगा ।

(ङ) यह प्रस्ताव आईसीडीआर विनियमों द्वारा यथा परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेता के साथ पात्र संस्थागत खरीददार को ग्रहण करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करेगा । निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नया अनुमोदन लिए बिना बैंक हेतु निधि उगाहने हेतु आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत यथा निर्धारित इस तंत्र को अपना सकता है । आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अनुसार किसी पात्र संस्थागत खरीददार निर्गम के मामले में पात्र संस्थागत खरीददार आधार पर प्रतिभूति निर्गम "संगत तिथि" से पूर्व दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्स्चेंज में उद्धृत शेयरों के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व न्यून मूल्य के औसत से कम मूल्य पर नहीं किये जा सकते हैं । "संगत तिथि" का अर्थ है कि बैठक की तिथि जिसमें बैंक के बोर्ड अथवा समिति ने पात्र संस्थागत खरीददार निर्गम खोलने का निर्णय लिया है ।

(च) प्रस्ताव की विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकार, अग्रणी प्रबंधकों तथा हामीदार और यथा आवश्यक अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के परामर्श से, वर्तमान बाजार परिस्थितियों तथा अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए निर्धारित की जाएगी ।

(छ) चूंकि प्रस्ताव का मूल्य बाद के चरण में ही निर्धारित किया जा सकता है, अतः जारी किए जाने वाले शेयरों का मूल्य सूचित करना संभव नहीं है तथापि वे आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004 समय-समय पर यथा संशोधित अथवा यथा लागू अथवा यथा आवश्यक अन्य किसी दिशानिर्देशों / विनियमों / सहमति के अनुरूप होंगे ।

(ज) उक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु बोर्ड को पर्याप्त शिथिलता तथा विवेकाधिकार देने हेतु एक समर्थकारी प्रस्ताव पारित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(झ) आबंटित ईक्विटी शेयर लाभांश सहित बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समरूप होंगे । इस उद्देश्य से बैंक द्वारा सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के अनुसार एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है । अतः उक्त प्रस्ताव हेतु शेयरधारकों की सहमति का अनुरोध है ।

निदेशक मंडल नोटिस में यथा उल्लिखित विशेष प्रस्ताव पारित करने की अनुशंसा करते हैं ।

बैंक के किसी भी निदेशक का उल्लिखित संकल्प में, बैंक में शेयर धारिता की सीमा को छोड़कर, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है / हित नहीं जुड़ा है ।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

नरेन्द्र सिंह

(नरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे
दिनांक : 16.02.2013

Bank of Maharashtra

(**Head Office,** 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of Bank of Maharashtra will be held on **Monday, 18th March, 2013,** at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune- 411005, to transact the following business:

1. **TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:**

 "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 [SEBI (ICDR) Regulations] as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot 7,18,83,852 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at a price of Rs 56.48 per share as determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations aggregating Rs 405,99,99,961 on Preferential basis to Government of India (GOI).

 RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **15th February 2013.**

 RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

 RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

 RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the stock exchanges where the equity shares of the bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

 RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.

 RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

2. **TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:**

 "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**"RBI"**), the Government of India (**"GOI"**), the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), as amended from time to time / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of Rs.10/ each and in any case not exceeding 20,00,00,000 (Twenty Crore) and aggregating to not more than Rs. 200,00,00,000 (Rupees Two Hundred Crore Only) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, in such a way

that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank , whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the shareholders , employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, Qualified Institutional Placements ("QIPs") and/or on a private placement basis, with or without over allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations"), as amended from time to time and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Government of India at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the Relevant Date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity

shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, number of equity shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

Place : Pune
Date : 16.02.2013

(Narendra Singh)
Chairman and Managing Director

NOTES

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**

 A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

 The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office, at Pune not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 05.00 p.m. on **Wednesday, 13th March, 2013.**

 APPOINMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

 No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited with the Head Office of the Bank at Pune, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank at 05.00 p.m. on **Wednesday, 13th March, 2013.**

3. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:**

 For the convenience of the shareholders, Attendance slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009.

ITEM 1:

a) Objects of the Preferential Issue:

In order to comply with BASEL (II & III) requirements relating to Capital Adequacy, there is an ever increasing need to raise Capital. The Reserve Bank of India requires the Banks to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9%, of which Tier-I Capital should be at least 6%. As per the Audited Financial Statements of the Bank as of March 31, 2012, the CRAR of the Bank was 12.43%, out of which Tier-I Capital Adequacy Ratio was 8.31%. As at December 31, 2012, the total Capital Adequacy Ratio of the Bank was 10.70%, out of which Tier-I Capital Adequacy Ratio was 6.60 %. Taking into account the ongoing growth in the business and the scope for business growth in the immediate future, Bank foresees additional requirement of capital and capital raised will be utilized to strengthen the Capital Adequacy required for the business growth.

b) Government of India now proposes to infuse additional equity capital into the Bank, to strengthen owned funds of the Bank. The proposed offer of Equity Shares will be subscribed by Government of India, the Promoter of the Bank, through Preferential Issue of Equity Shares.

c) Shareholding Pattern of the Bank before and after the Preferential Issue of Equity Shares:

Sr. No.	Category	No of Shares held	% share holding	No of shares held	% share holding
A	Promoter Holding				
1	Promoters				
	Govt. of India	465506455	78.95	537390307	81.24
	Foreign Promoters	–	–		
2	Persons acting in concert	–	–		
	Sub total	465506455	78.95	537390307	81.24
B	Non-Promoter Holding				
3	Institutional Investors				
A	Mutual funds & UTI	5332027	0.90	5332027	0.81
B	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, (Central/State Govt. Institutions/ Non-government Institutions)	62824381	10.66	62824381	9.50
C	FII	4520275	0.77	4520275	0.68
	Sub Total	72676683	12.33	72676683	10.99
4	Others				
A	Private Corporate Bodies	6741392	1.14	6741392	1.02
B	Indian Public	43664747	7.41	43664747	6.60
C	NRI/OCBs	1002805	0.17	1002805	0.15
D	Any Other	–	–	–	
	Sub Total	51408944	8.72	51408944	7.77
	Grand Total	589592082	100.00	661475934	100.00

d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

[redacted]

e) As the issue is proposed to be made to the Government of India (GOI) the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control. The pre and post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue (as on 31.12.2012)	465506455	78.95
Post Issue	537390307	81.24

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.

g) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of allotment.

h) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of allotment of equity shares.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India are held in Dematerialised Form.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in any manner in the proposal contained in these resolutions.

ITEM 2:

a) The purpose of the issue is explained in para (a) of Item 1(one) above. In addition to the Preferential Issue as proposed above, it is also proposed to issue 20,00,00,000 (Twenty Crore) equity shares, aggregating to not more than Rs.200,00,00,000 (Rupees Two Hundred Crore Only) as mentioned in the resolution.

b) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paidup capital. However, the Government of India shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paidup equity capital of the Bank.

c) Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and stock exchanges) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

d) The Resolution seeks to enable the Bank to offer issue and allot equity shares / securities by way of public issue, rights issue, and / or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

e) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

f) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

g) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended from time to time or any other guidelines / regulations /consents as may be applicable or required.

h) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

i) The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009. Hence the consent of the Shareholders is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

By order of the Board of Directors

(Narendra Singh)
Chairman and Managing Director

Place : Pune
Date : 16.02.2013

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या		डी.पी.आई.डी. क्र.	
		ग्राहक आई.डी. क्र.	
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)		(यदि बेकागजीकृत है)	

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को,

अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की **18 मार्च, 2013** को अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में प्रातः 10.30 बजे होने वाले असाधारण सामान्य बैठक और उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं ।

_____ 2013 के _____ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया रु. 1/- का राजस्व टिकट लगाएं

नाम : _____

पता : _____

_____ (प्रॉक्सी का हस्ताक्षर)

_____ (प्रथम शेयरधारक / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)

प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

1. कोई भी प्राक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
 (क) एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों,
 (ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों,
 (ग) एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों,
2. यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्राक्सी लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो ।
3. प्राक्सी फार्म,
 (क) मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 (ख) किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण सामान्य बैठक की तारीख के चार दिन के पूर्व अर्थात बुधवार, 13 मार्च 2013 के कार्य समापन समय सायं 5.00 बजे के पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में जमा किया जाए ।
4. कोई भी प्राक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि उस पर विधिवत् स्टांप न लगाया गया हो ।
5. बैंक के पास जमा की गई प्राक्सी लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी ।
6. यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हो तो एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं किया जाएगा ।
7. एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है ।
8. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्राक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक अधिकारी या कर्मचारी हो ।
9. नियुक्त किए गए प्राक्सी को बैठक मे बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

Bank of Maharashtra

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised	

I/We, resident(s) of

in the district of in the State ofbeing a shareholder/s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt..... resident of in the district of in the State of OR failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on 18th March 2013 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2013

Name :

Address :

.....

Please affix Re 1 Revenue Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 (b) In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 (c) In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
3. The Proxy together with
 (a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 (b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Investor Services, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of 05.00 P.M on Wednesday, the 13th March 2013.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank of Maharashtra.
9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.

[redacted]

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश द्वार पर सौंपा जाना है)

दिनांक : 18 मार्च, 2013

समय : सुबह 10.30 बजे

स्थान : अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

मैं एतद्द्वारा बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं ।

शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो		डीपीआईडी	
		ग्राहक आईडी	
(अगर बेकागजीकृत नहीं है)		(अगर बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
धारित शेयरों की संख्या			

यहां से काटें

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005

प्रवेश पर्ची

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाना है)

दिनांक : 18 मार्च, 2013

समय : सुबह 10.30 बजे

स्थान : अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो		डीपीआईडी	
		ग्राहक आईडी	
(अगर बेकागजीकृत नहीं है)		(अगर बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
धारित शेयरों की संख्या			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची को हॉल में प्रवेश करने के लिए बैंक के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप उचित प्रकार से हस्ताक्षर करके प्रवेश-पत्र के साथ प्रस्तुत करें। तथापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेशद्वार में उपस्थित पर्ची की नकल जारी नहीं की जाएगी ।

[redacted]

Bank of Maharashtra

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

ATTENDANCE SLIP

(To be handed over at the time of entry to the Venue)

Date : 18.03.2013

Time : 10.30 A.M.

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present	

Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
If not Dematerialised		If Dematerialised	
Name of the Shareholder			
Number of Shares held			

cut here

Bank of Maharashtra

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : 18.03.2013

Time : 10.30 A.M.

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

Signature of the Shareholder / Proxy / Authorised Representative present	

Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
If not Dematerialised		If Dematerialised	
Name of the Shareholder			
Number of Shares held			

Shareholders / Proxy or Authorised Representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank along with the entry pass for admission to the venue. The admission will, however, be subject to further verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting.

[redacted]

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005

स्थान : पुणे

संदर्भ क्र एएक्स1/आईएसडी/हरितपहल/2012-13

दिनांक : 16 फरवरी, 2013

प्रिय शेयरधारक,

विषय : निगमित अभिशासन में हरित पहल - ई-मेल आईडी हेतु अनुरोध

1. निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) ने निगमित अभिशासन में "हरित पहल" करते हुए कंपनियों को अपने शेयरधारकों को नोटिस / दस्तावेज़ / अन्य संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की अनुमति दी है.

2. मंत्रालय के इस कदम से कागज की खपत कम होगी, जिससे पेड़ बचेंगे, जो कि हरित पर्यावरण की दिशा में एक सार्थक योगदान होगा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दस्तावेज/ संप्रेषण भेजने से लागत में तो पर्याप्त बचत होगी ही, साथ ही, डाक में इनकी गुमशुदगी को टाला जा सकेगा और इनका तत्पर संप्रेषण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा । इस उद्देश्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों में आपका बहुमूल्य सहयोग प्रार्थनीय है।

3. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब से सभी संप्रेषण/दस्तावेज जैसे आम सभा की सूचना, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जमा किए गए लाभांशो एनईसीएस की सूचनाएं, आदि आपके ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जो आपके द्वारा/ आपके डिपोजिटरी द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है।

4. अतः हम आपसे निम्नानुसार अनुरोध करते हैं :

 - अगर आपके पास डीमैट फॉर्म में शेयर हों तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके निक्षेपागार सहयोगी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) के पास आपका अद्यतन ई-मेल आई डी हो.
 - अगर आपके पास भौतिक (फिजिकल) फॉर्म में शेयर्स हों तो अनुरोध है कि अपना ई-मेल आईडी अद्यतन कराने के लिए हमें हमारे उपर्युक्त पते पर या हमारे रजिस्ट्रार्स व शेयर अंतरण एजेंट एमसीएस लिमिटेड को निम्नलिखित पते पर लिखें :

 एमसीएस लिमिटेड, (यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) कार्यालय क्र. 21/22, तल मंजिल, काशीराम जमनादास भवन, 5, पी. डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई पिन 400 009. टेलीफोन : (022) 2372 6253-56, फैक्स : (022) 2372 6252 ई-मेल : mcspanvel@yahoo.com

 - कृपया जानकारी इस प्रकार दें :
 i) फोलियो क्रमांक/डीपी आईडी-ग्राहक आईडी :
 ii) प्रथम/एकमात्र शेयरधारक का नाम :
 iii) ई-मेल आईडी :
 iv) टेलीफोन/मोबाइल क्रमांक
 v) प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

5. इस संबंध में मांग करने पर आप उपर्युक्त मद क्र. (3) में सूचित संप्रेषण/दस्तावेज की भौतिक प्रतियां, भी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. ये दस्तावेज बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर निश्चित तिथि से पूर्व भी उपलब्ध होंगे तथा इसकी भौतिक प्रति निरीक्षण हेतु हमारे निवेशक सेवाएं विभाग में कार्यालय समय के दौरान भी उपलब्ध होगी.

6. कृपया उपर्युक्त जानकारियों में परिवर्तनों को निवेशक सेवाएं विभाग/एमसीएस लिमिटेड या अपने निक्षेपागार सहयोगी के साथ अद्यतन करें.

सधन्यवाद,

भवदीय,

महाप्रबंधक
निवेशक सेवाएं

स्थान :

दिनांक :

एमसीएस लिमिटेड,
(यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र)
कार्यालय क्र. 21/22, तल मंजिल,
काशीराम जमनादास भवन,
5, पी. डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी),
मस्जिद (पूर्व), मुंबई पिन 400 009.
टेलीफोन : (022) 2372 6253-56,
फैक्स : (022) 2372 6252
ई-मेल : mcspanvel@yahoo.com

प्रिय महोदय ,

विषयः शेयरधारक की जानकारी को अद्यतन करना

इसका संदर्भ दिनांक 16/02/2013 के आपके पत्र क्रमांक एएक्स1/आईएसडी/हरितपत्रक/2012-13 से है जो शेयरधारक की जानकारी को अद्यतन करने के संबंध में है । इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको सम्प्रेषण में सरलता होगी। मेरी /हमारी शेयरधारिता संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :

1	फोलियो क्रमांक /डीपी आईडी-ग्राहक आईडी	
2	प्रथम /एकल शेयरधारक का नाम	
3	ई-मेल आईडी	
4	टेलीफोन/मोबाइल क्रमांक	
5	प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर	

आप हमें सभी सम्प्रेषण उपर्युक्त पते पर भेज सकते हैं ।

भवदीय,

(प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम व हस्ताक्षर)

(कृपया इस पृष्ठ को पृथक करें और यथोचित रूप से भर कर तथा हस्ताक्षर कर उक्त पते पर एम सी एस लिमिटेड को मेल करें ।)

Bank of Maharashtra

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005

Ref.No.AX1/ISD/Greenin/2012-13

Place : Pune
Date : February 16, 2013

Dear Shareholder,

RE: Green Initiative in Corporate Governance - Request for Email ID

01. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has taken the "Green Initiative in Corporate Governance" thereby allowing companies to send notices / documents / other communications to their shareholders through electronic mode.

02. This move by the Ministry is going to reduce the consumption of paper and thereby save trees, which would significantly contribute to the cause of green environment. Besides saving substantially on the cost front, sending documents/ communications by electronic mode also ensures prompt communication without their loss in transit. We solicit your valuable support in our efforts to contribute to this cause.

03. We now would like to inform you that henceforth all future communications/ documents, like Notices of General Meetings, Annual Reports including Audited Financial Statements, Directors Report, Auditors Report, NECS intimations of dividend credited etc. will be sent to you in electronic mode at the e-mail address provided by you/made available to us by your depositories.

04. We therefore request you as under:

- In case you are holding shares in Demat form, please ensure that your e-mail Id with your Depository Participant is an updated one.
- In case you are holding shares in physical form, you are requested to write to us at our above address or to MCS Ltd, our Registrars and Share Transfer Agents, at the address given below to update your e-mail Id:

 MCS Ltd., (Unit: Bank of Maharashtra) Office No21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Building, 5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai: Pin:400 009. Tel (022)2372 6253-56, Fax: (022) 2372 6252 e-mail: mcspanvel@yahoo.com

- The information may please be given as under:

 I. Folio No./DP ID-Client ID :
 II. Name of the First/Sole Shareholder :
 III. E-mail ID :
 IV. Telephone/Mobile No. :
 V. Signature of the first/sole shareholder :

05. You are also entitled to physical copies of the communication/ documents said in (3) above, upon requisition in this regard. These documents will also be available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in prior to the mandatory date and physical copy will also be available for inspection during office hours at our Investor Services Department.

06. Please update the changes in said details with the Investor Services Dept/MCS Ltd or with your Depository Participants.

Thanking you,

Yours faithfully,

General Manager
Investor Services

Place :

Date :

MCS Ltd.,
(Unit: Bank of Maharashtra)
Office No: 21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Building,
5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi),
Masjid (E) Mumbai: Pin:400 009.
Tel (022)2372 6253-56,
Fax: (022) 2372 6252
e-mail: mcspanvel@yahoo.com

Dear Sir,

RE: Updating the shareholder information

This has reference to your letter No.AX1/ISD/Greenin/2012-13, dated 16th February 2013 on your request to update the shareholder information, to enable you to send the communication through electronic media. The information in respect of my/ our share holdings is as under:

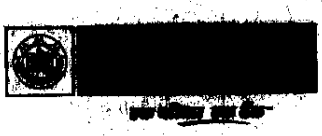
1	Folio No./DP ID-Client ID	
2	Name of the First/Sole Shareholder	
3	E-mail ID	
4	Telephone/Mobile No	
5	Signature of the first/sole shareholder	

You may send us the communication to the above e-mail id.

Yours faithfully,

(Name & Signature of the first/sole shareholder)

(Please detach this page and mail to MCS Ltd, at the above address, duly filled and signed)



बुक - पोस्ट
BOOK - POST

सेवा में,
To,

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं:
मेसर्स एमसीएस लि.
यूनिट: **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**
आफिस नम्बर 21/22, तल मंजिल,
काशीराम जमनादास बिल्डिंग,
5 डिमेलो रोड (घड़ियाल गोदी),
मस्जिद (पूर्व), मुंबई 400 009

If undelivered please return to:
M/s. MCS Ltd.
Unit : **Bank of Maharashtra**
Office No. 21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Building,
5 D'Mello Road (Ghadiyal Godi),
Masjid (East), Mumbai 400 009.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बैंक

Uchitha Graphic 40336400